



**Government of Haryana**

**Annual Administrative Report**

**of**

**Year 2018-19**

---

**Administrative Reforms Department, Haryana**  
**Haryana Civil Secretariat, Chandigarh**

## INDEX

Sr. No.	Contents	Page No.
1	Introduction	I – IV
2.	Business Allocation	1 – 5
3.	Works and Objects	6
4.	Administrative Reforms Branch	7 – 8
5.	Staff Inspection Unit	8
6.	Delay Checking Unit	8 – 9
7.	RTI Cell	9
8.	Research Unit	9 – 10
9.	Administrative Structure	11 – 12
10.	Report of State Vigilance Bureau, Haryana	12
11.	State Information Commission Haryana	13 – 15
12.	Haryana Right to Service Commission	16 – 17
13.	Haryana Governance Reforms Authority	18 – 19
14	Annexure – ‘A’ Notified Services	20 – 67

## **Review of the Annual Administrative Report of the Administrative Reforms Department for the year 2018-19.**

The Department of Administrative Reforms is the Nodal Agency of Government of Haryana for carrying out Administrative Reforms. The mission of the Department is to act as a facilitator to improve Government functioning through Systemic Changes, Organization and Methods, Eliminating Delays and Maintaining Punctuality in the offices thereby making the administration more sensitive to the aspirations and needs of the people of the State besides developing a mechanism for redressing their grievances on high priority. In addition to these reformative functions, this Department also conducts Works Studies to examine the requirement of Staff for the Government offices which demand additional posts. To promote proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration at all levels of the Government, the following multipronged strategies are adopted by the Departments:-

- i) Management Studies.
- ii) Identification of grievances prone areas and studies for quick remedial action.
- iii) Management Services.
- iv) Research on general issue of Administrative Reforms.
- v) Reduction of corruption, delay and in-differences in the state machinery.
- vi) Implementation of Right to Information Act, 2005.
- vii) All matters relating to the State Information Commission.
- viii) Implementation of Right to Service Act, 2014.
- ix) All matters relating to the Haryana Right to Service Commission.
- x) All matters relating to the Haryana Governance Reforms Authority
- xi) All matters relating to the setup of Haryana State Administrative Tribunal under Administrative Tribunals Act, 1985 (Central Act 13 of 1985)

2. In pursuance of this and in order to promote good governance practices in the State, the Department of Administrative Reforms offers help and advice to the various Government Departments in Management and Organization & Methods activities which include:

- i) Minimizing and reducing levels of deliberation in the disposal of office work by introducing Single File System.
- ii) Fixing accountability by conducting surprise inspections and review of previous inspections.
- iii) Reduction in Paper Work as a result of review, rationalization and simplification of office forms and procedures.
- iv) Simplification of rules and procedures so as to reduce the number of occasions and purpose for which a citizen has to visit Government Offices.

- v) Regulation of movement of files and other papers by various functionaries of the Government.
- vi) Issuance of the instructions and reiteration thereof on different aspects of employees of various Departments to redress their grievances.
- vii) Action on the requests made by individuals and employees of various Departments to redress their grievances.

3. The Administrative Reforms Department was created as a separate Department in November, 1983. However, its functions and jurisdiction were notified on March 12, 1988.

4. This Department comprises of five Branches which include:-

- i) Administrative Reforms Branch
- ii) Staff Inspection Unit
- iii) Delay Checking Unit
- iv) RTI Cell
- v) Research Unit

5. All Heads of Departments were directed to prepare Annual Action Plans for their Departments for the entire year. They were advised to fix targets in the form of calendar of works and jobs of special importance. Administrative Reforms Department is working to cover all Public Services of State Government under Haryana Right to Service Commission to deliver quality public services to the citizens in a hassle-free manner and eliminate the causes of grievance through significant standards of performance and a sound grievances redressal mechanism.

During the year 2018-19, Administrative Reforms Branch disposed off 25 complaints and disposed off 47 RTI Applications, 07 First Appeals & 15 Second Appeals under RTI Act, 2005. This branch has notified 15 Notifications/Guidelines/Circulars, which are available on the Chief Secretary's Website. During the year, three State Information commissioners were retired from the Commission and three new State Information Commissioners were appointed in this Commission. This branch has notified form C & D Under Section 27 of RTI Act, 2005 for maintaining a Register of penalties imposed and Receipts of imposed penalties in Minor Head & Sub Head to Major Head of other Administrative Services. Up to this year total 370 services have been notified under Haryana Right to Service Act, 2014. This Branch also set up the Haryana State Administrative Tribunal under Administrative Tribunals Act, 1985 (Central Act 13 of 1985) and appointed a Judge, whose name is recommended by Hon'ble Punjab and Haryana High Court.

Staff Inspection Unit was made work-studies of six Branches of Haryana Civil Secretariat i.e Pension, Pay Revision, Press, Health-I, II & III.

Delay Checking Unit have made Surprise Checking on 25.04.2018 of Skill Development & Industrial Training Department, on 28.09.2018 of Employment and Transport Departments, on 25.10.2018 various offices of Education Department situated at Panchkula i.e. District Education Office, District Elementary Education Office, Block Education Office Pinjor, Sanskariti Model Senior Secondary School Sector-20, Govt. Middle School Devinagar and Govt. Primary School Devinagar and on 20.12.2018 of New Haryana Civil Secretariat Chandigarh

RTI Cell disposed of, 1426 RTI applications under section 6(3), 85 appeals under section 19(1) and 20 second appeals under section 19(3) under RTI Act, 2015.

Research Unit has issued instructions on 04.04.2018 & 18.10.2018 for prevention of delay of PUCs/Files/Cases and increases the office efficiency respectively and published last year Annual Administrative Report, which is available on the Chief Secretary website. This branch is celebrated the Civil Service day on 21.04.2018 at Red Bisap Panchkula. This branch implementing "Team Haryana for Parivartan Scheme Perform, Reform and Transform" to effectively operationalize this initiative. Each of the 50 blocks have been assigned to Administrative Secretaries/Senior Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Forest Service's officers for new initiative and perusing existing works/Schemes/Projects/ Services to be done in time in assigned block.

6. This Department implemented the Right to Information Act, 2005 in the State and established the State information Commission, Haryana. During the year 2018-19, State Information Commission, Haryana disposed of 9153 cases out of 9588 cases, imposed Rs. 62,11,750/- as penalty on 379 cases under section 20(1), an amount of Rs. 9,06,959/- was got from 55 cases, awarded as compensation in 141 cases an amount of Rs. 4,74,000/- under section 19(8)(B), recommended Departmental disciplinary action in 383 cases under section 20(2) of Right to Information Act, 2005. During the year 2018-19, three State Information Commissioners were retired from Commission and three new State Information Commissioners were appointed in this Commission. During this year, commission has spent Rs. 863.59 lacs out of earmarked amount of Rs. 958.30 lacs.

7. To provide for the delivery of service to eligible person within the notified time limits and for matters connected therewith and incidental thereto of all Departments/Organizations concerned, this Department implemented the Right to Service Act, 2014 in the State. Up to this year, total 370 services have been notified under Haryana Right to Service Act, 2014. In this year commission have disposed off 34 cases out of total received 43 cases and imposed Rs. 53,500/- as penalties on 14 persons and no responsibility was fixed on any persons by the Commission. During the year, Commission has spent Rs. 271.29 lacs.

8. This Department has set up Haryana Governance Reforms Authority (HGRA) to enhance the quality and ease to access of all citizens to various development programs, services and schemes of the State Government and to make the delivery of services harassment and corruption free in the Haryana State. As per notification no. 4/30/2017-RU dated 04.01.2017, Government has constituted an empowerment Committee for ensuring speedy implementation of its recommendations and Government has also constituted 7 Task Groups, which may be setup for specific area, Sectors for assist to HGRA vide orders dated 26.06.2017 and two new Task Groups has also been notified vide orders dated 04.01.2019, now total Task Groups is 9. During this year HGRA have called 8 General Meetings & 17 Task Groups meetings of specific area to recommend the suggestion on various development programs, services and Schemes for simplification and increase of qualities. During this year HGRA have published four Status Reports and spent Rs. 52.17 lacs.

9. There is no pending case in Administrative Reforms Department relating to vigilance enquiry.

10. During the year 2018-19, Shri D. S. Dhesi, IAS, Chief Secretary to Government, Haryana was as Administrative Secretary. Sh. Devender Singh, IAS w.e.f 01.04.2018 to 14.11.2018 and Sh. T.C.Gupta, IAS, w.e.f. 16.11.2018 to 31.03.2019 remained posted as Additional Chief Secretary to Government, Haryana in the Administrative Reforms Department and during the year Smt. Santosh Kumari, worked as Under Secretary, Sh. Rakesh Kumar as Research Officer and Shri Vinod Singh as Assistant



(Vijai Vardhan)

Chief Secretary to Government Haryana  
Administrative Reforms Department.

Chandigarh, Dated 08.10.2020

## प्रशासकीय सुधार विभाग की वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

हरियाणा राज्य में प्रशासकीय सुधार लाने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग, हरियाणा सरकार की एक नोडल एजेंसी है। प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार प्रशासन को और अधिक सचेत करने के अतिरिक्त उच्च प्राथमिकता के आधार पर उनकी शिकायतों के समाधान करने के लिए एक तंत्र विकसित करके यह विभाग प्रणालीगत परिवर्तन, संगठन और पद्धतियों के माध्यम से सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार लाने, विलम्ब रोकने तथा नियमितता बनाये रखने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। सुधारात्मक कार्यों के अतिरिक्त यह विभाग सरकारी कार्यालयों के अमले की आवश्यकता के लिए जहां अतिरिक्त पदों की मांग की गई है, उनके कार्य का अध्ययन तथा जांच करता है। सरकार में सभी स्तरों पर कारगर कार्यवाही, उत्तरदायित्व, स्थायी और कुशल प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए इस विभाग द्वारा निम्न बहुआयामी नीतियां अपनाई जाती हैं:-

- 1) प्रबन्धन अध्ययन।
- 2) शिकायती क्षेत्रों की पहचान तथा उचित कार्यवाही हेतु अध्ययन।
- 3) प्रबन्ध सेवाएं।
- 4) प्रशासकीय सुधारों के सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान आदि।
- 5) सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, देरी तथा कार्य के प्रति उदासीनता को कम करना।
- 6) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू करना।
- 7) हरियाणा राज्य सूचना आयोग से सम्बन्धित सभी मामले।
- 8) सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 लागू करना।
- 9) हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित सभी मामले।
- 10) हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण एवं उससे सम्बन्धित सभी मामले।
- 11) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के तहत हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करने एवं उससे सम्बन्धित मामले।

2. राज्य में सुशासन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों तथा संगठन एवं विधिक गतिविधियों के लिए सहायता तथा मन्त्रणा प्रदान की जाती है, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं:-

- 1) कार्यालयों में कार्य निपटान स्तर कम करने हेतु इकहरी मिसल प्रणाली को अपनाया जाना।
- 2) जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण एवं पूर्ण निरीक्षण की समीक्षा करना।
- 3) कार्यालय तथा कार्य प्रणाली के सरलीकरण हेतु कागजी कार्यवाही को कम करने का तरीका सुझाना।
- 4) सरकारी कार्यालयों में नागरिकों के किसी उद्देश्य से बार-बार आने के अवसरों को कम करने के लिए नियमों का सरलीकरण करना।

- 5) सरकारी कार्यालयों में मिसल/कागजों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजने की प्रक्रिया को नियमित करना ।
  - 6) हरियाणा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को समय-समय पर प्रशासनिक सुधार के लिए निर्देश जारी करना है ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके ।
  - 7) निजि तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से प्राप्त प्रार्थना पर शिकायतों का निवारण करने बारे कार्यवाही करना ।
3. प्रशासकीय सुधार विभाग की स्थापना नवम्बर, 1983 में एक पृथक विभाग के रूप में की गई थी लेकिन इसके कार्य और सेवा अधिकार की सूचना 12 मार्च, 1988 को जारी की गई ।

4. इस विभाग में पांच निम्न शाखाएं बनाई हुई हैं:-

- (1) प्रशासकीय सुधार शाखा
- (2) अमला निरीक्षण ईकाई
- (3) विलम्ब जांच ईकाई
- (4) आर0टी0आई0 सैल
- (5) अनुसंधान ईकाई

5. इस विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को उनके पूरे वर्ष के लिए वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए । उन्हें सलाह दी गई कि वे अपने विभाग के विशेष महत्व के कार्य के लिए कैलेण्डर वर्ष में समय अनुसार सुधार के लक्ष्य निर्धारित करें । राज्य के सभी विभागों की सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अन्तर्गत लाया जा रहा है ताकि विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके तथा निर्धारित अवधि में कार्य न होने की स्थिति में उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके ।

वर्ष 2018-19 के दौरान इस विभाग की प्रशासकीय सुधार शाखा द्वारा 25 शिकायतों का निपटान किया गया और आर0 टी0 आई0 एक्ट 2005 के तहत 47 आवेदन पत्र, 07 प्रथम अपीलें, तथा कार्यालय द्वारा 15 द्वितीय अपीलों का निपटान किया गया । इस शाखा द्वारा 15 अधिसूचनाएं/हिदायतें/ सर्कुलर जारी किये गये हैं, जो कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध है । वर्ष 2018-19 में राज्य सूचना आयोग हरियाणा से 3 राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त हुए तथा 3 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां करवाई गई । दिनांक 03.07.2018 को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप धारा (2) के तहत सरकार द्वारा अधिरोपित शास्तियों का रजिस्टर तैयार करने हेतु दो प्रारूप ग एवं घ तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं मुख्य लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्तियों एवं अधिरोपित लघु शीर्ष एवं उपशीर्ष की अधिसूचना जारी की गई । हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के अन्तर्गत कुल 370 सेवायें अधिसूचित करवाई गई हैं । इस शाखा द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 13) के तहत हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई तथा माननीय

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश किये गये एक न्यायधीश की नियुक्ति की गई है।

इस विभाग की अमला निरीक्षण इकाई द्वारा हरियाणा सिविल सचिवालय की 6 शाखाओं क्रमशः पेंशन शाखा, वेतन परिशोधन शाखा, मुद्रण शाखा, स्वास्थ्य शाखा-I, स्वास्थ्य शाखा-II व स्वास्थ्य शाखा-III का कार्याध्ययन किया गया।

इस विभाग की विलम्ब जॉच ईकाई द्वारा दिनांक 25.04.2018 को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोजगार विभाग, दिनांक 28.09.2018 को परिवहन विभाग, दिनांक 25.10.2018 को जिला शिक्षा अधिकारी पंचकुला, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकुला, खण्ड शिक्षा अधिकारी पिंजौर, संस्कृति मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर-20, पंचकुला, राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवी नगर, पंचकुला एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, देवी नगर, पंचकुला व 20.12.2018 को नव सिविल सचिवालय का औचक निरीक्षण किया गया।

इस वर्ष आर0टी0आई0 सैल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त 1426 आवेदनों को धारा 6(3) के तहत एवं 85 प्रथम अपीले धारा 19(1) के तहत स्थानान्तरित किया गया तथा 20 द्वितीय अपीलों का धारा 19(3) के तहत हरियाणा सूचना आयोग से निपटान करवाया गया।

अनुसंधान ईकाई द्वारा दिनांक 04.04.2018 को कार्यालय में कार्यक्षमता बढ़ाने और विलम्ब रोकने के लिए व दिनांक 18.10.2018 को विचाराधीन पत्र/मिसल/मामलों को समय पर निपटाने हेतु हिदायतें जारी की गई एवं गत वर्ष 2017-18 की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट प्रकाशित करवाई गई, जो कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की वैबसाइट पर उपलब्ध है तथा दिनांक 21 अप्रैल, 2018 को सिविल सर्विस डे का आयोजन करवाया गया। इस ईकाई द्वारा "टीम हरियाणा फॉर परिवर्तन" कार्यक्रम के तहत 50 खण्डों में प्रदर्शन, सुधार एवं परिवर्तन लाने हेतु प्रशासकीय सचिव/वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवायें, भारतीय वन सेवायें के अधिकारियों की खण्ड आबंटित किये गये ताकि उनके जनहित कार्यों का शीघ्रता से निपटान किया जा सके।

6. इस विभाग द्वारा प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया और हरियाणा राज्य सूचना आयोग बनाया हुआ है। इस सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 9588 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 9153 अपीलों का निपटान किया गया और 379 उत्तरदायी व्यक्तियों पर 62,11,750/-₹0 का जुर्माना लगाया गया और 55 केसों में 9,06,959/-₹0 का जुर्माना वसूल किया गया। कलैण्डर वर्ष 2018 में

आयोग द्वारा धारा 20(1) के तहत 305 केसों में 60,69,500 रुपये की राशि के जुर्माने लगाये गये, धारा 19(8)(बी) के तहत 141 केसों में 4,74,000 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई गई, धारा 20(2) के तहत 383 केसों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई। वर्ष 2018-19 में आयोग से तीन राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त हुए थे और तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां की गई। इस वित्तीय वर्ष में आयोग को 958.30 लाख रुपये आबंटित किये गये, जिसके विरुद्ध आयोग द्वारा 863.59 लाख रुपये खर्च किये गये।

7. सभी विभागों/संगठनों द्वारा परिपालित की जा रही विभिन्न जन सेवा स्कीमों का समय पर लाभार्थी को लाभ मिल सके एवं समय पर लोक कार्यों का निपटान करने हेतु हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 लागू किया गया है। इस वर्ष तक हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत कुल 370 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। इस वर्ष आयोग में प्राप्त 43 केसों में से 34 केसों का निपटान किया गया और आयोग द्वारा 14 व्यक्तियों पर 53,500-00 रुपये का जुर्माना किया है। इस वर्ष में आयोग द्वारा 271.29 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

8. हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में सभी नागरिकों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा उत्पीड़न से छुटकारा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एच0जी0आर0ए0) का पांच वर्ष हेतु गठन किया हुआ है। जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4/30/2017-आर0यू0, दिनांक 04.01.2017 को जारी की गई है और इस प्राधिकरण की अधिसूचना के अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक अधिकारिता समिति का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य एच0जी0आर0ए0 द्वारा की गई सिफारिशों को सुनिश्चित करते हुए लागू करवाना है और अधिसूचना के शासन संरचना अनुसार विशेष कार्यों के क्षेत्रों की पहचान हेतु 07 टास्क ग्रुप्स भी बनाये हुए थे। दिनांक 04.01.2019 को 02 नए टास्क ग्रुप बनाये गये। अब कुल 09 टास्क ग्रुप्स हो गए हैं। एच0जी0आर0ए0 द्वारा वर्ष 2018-19 में 08 साधारण बैठकें बुलाई गई तथा विशेष कार्य क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों में बनाए गए टास्क ग्रुप्स द्वारा 17 बैठकें बुलाई गई तथा उन द्वारा की गई सिफारिश अनुसार विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवत्ता बढ़ाने हेतु 4 स्टेट्स रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई। इस वित्तीय वर्ष में हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण द्वारा 52.17 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

9. प्रशासकीय सुधार विभाग में चौकसी जांच से सम्बन्धित कोई केस लम्बित नहीं है।

10. वर्ष 2018-19 में श्री डी0 एस0 डेसी, भा0प्र0से0, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार इस विभाग के प्रशासकीय सचिव रहे। दिनांक 01.04.2018 से 14.11.2018 तक श्री देवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 एवं दिनांक 16.11.2018 से 31.03.2019 तक श्री टी0 सी0 गुप्ता, भा0प्र0से0 इस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे और उनके कार्यों में उनकी सहायता करने के लिए श्रीमती सन्तोष कुमारी बतौर अवर सचिव, श्री राकेश कुमार, अनुसंधान अधिकारी तथा श्री विनोद सिंह, सहायक कार्यरत रहे।



(विजय वर्धन)

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,  
प्रशासकीय सुधार विभाग।

चण्डीगढ़, दिनांक 08.10.2020

## प्रशासकीय सुधार विभाग की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट

प्रशासकीय सुधार विभाग की पांच शाखाएं हैं अर्थात् प्रशासकीय सुधार शाखा, अमला निरीक्षण ईकाई, विलम्ब जांच ईकाई, सूचना का अधिकार सैल तथा अनुसंधान ईकाई है। इस वर्ष श्री डी0 एस0 डेसी, भा0प्र0से0, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार इस विभाग के प्रशासकीय सचिव रहे। दिनांक 01.04.2018 से 14.11.2018 तक श्री देवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 एवं दिनांक 16.11.2018 से 31.03.2019 तक श्री टी0 सी0 गुप्ता, भा0प्र0से0 इस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे और उनके कार्यों में उनकी सहायता करने के लिए श्रीमती सन्तोष कुमारी बतौर अवर सचिव, श्री राकेश कुमार, अनुसंधान अधिकारी तथा श्री विनोद सिंह, सहायक कार्यरत रहे।

### कार्य तथा उद्देश्य

1. भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना।
2. लम्बित मामले जिनमें विशेष तौर से देरी की जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है, का निरीक्षण करना।
3. सभी राज्यों के कार्मिक एवं प्रशासकीय सचिवों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करना।
4. सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करना।
5. सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालयों का मूल्यांकन करना।
6. सचिवालय अनुदेशों को अप-टू-डेट करना।
7. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपस्थिति व लम्बित मामलों का आकस्मिक निरीक्षण करना, हरियाणा सिविल सचिवालय तथा वित्तायुक्त राजस्व कार्यालयों की शाखाओं का निरीक्षण करना।
8. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी सेवा स्कीमों को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना है।
9. सेवा स्कीमों को ई-सेवा के अधीन लाने हेतु भी इस विभाग द्वारा कार्यवाही करना।
10. पद्धति प्रणालियों का सरलीकरण करने के लिए तरीकों का सुझाव देना ताकि जनहित सेवाएं प्रदान करने में जनता को अधिक संतुष्टि मिल सके।
11. राज्य की विभिन्न विभागों के अनुपयोगी स्टेटमैन्ट रिटर्नज प्रोफार्मा को समाप्त करना।
12. प्रशासकीय सुधार के क्षेत्र की गतिविधियों के बारे दूसरे राज्यों से प्राप्त प्रकाशनों का अध्ययन तथा निपटान करना।
13. राज्य के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का अध्ययन तथा निपटान करना।
14. विभिन्न विभागों के कार्य करने के तौर तरीकों में सुधार लाने हेतु कार्य व प्रबंध का गहन अध्ययन करना तथा इस बारे तैयार किए गए प्रस्तावों को लागू करने हेतु उचित पग उठाना।
15. रिकार्ड के रख-रखाव बारे हिदायतें जारी करना।
16. राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करने के दिशा-निर्देशों को तैयार करना एवं हिदायतों को अप-टू-डेट करना तथा कार्यान्वित करना है।

## प्रशासकीय सुधार शाखा

प्रशासकीय सुधार शाखा, प्रशासकीय सुधार विभाग की तालमेल शाखा है। इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य प्रबन्ध सेवाओं कार्यकुशलता कार्यालयों में नियमितता तथा कार्य निपटाने में देरी को समाप्त करने बारे आवश्यक हिदायतें जारी करना सचिवालय हिदायतों को अप-टू-डेट करना, छः मास से अधिक पुराने लम्बित पड़े केसों के बारे में सूचना एकत्रित करना है और इस विभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटान करना है। वर्ष 2018-19 के दौरान इस विभाग की प्रशासकीय सुधार शाखा द्वारा 25 शिकायतें, आर0 टी0 आई0 एक्ट 2005 के तहत 47 आवेदन पत्र, 07 प्रथम अपीलें और 22 द्वितीय अपीलें प्राप्त हुईं तथा 15 द्वितीय अपीलों का निपटान किया गया। 15 अधिसूचनाएं/हिदायतें/सर्कुलर जारी किये गये, जो कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इस अवधि के दौरान अलग-अलग विषयों पर 15 अधिसूचनाएं/परिपत्र/हिदायतें जारी की गई हैं तथा इस शाखा द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 13) के तहत हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हेतु मामला मन्त्री मण्डल से अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को अधिसूचना जारी करने हेतु भेजा गया है तथा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को भी एक न्यायधीश की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को राज्य में पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने बारे विशेष पग उठाये गये तथा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना हेतु दिनांक 21.12.2009 को नियमावली अधिसूचित की गई है। इस आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 सूचना आयुक्तों और अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यवस्था करवाई हुई है तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन करवाये जाते हैं।

वर्ष 2018-19 में राज्य सूचना आयोग हरियाणा से 3 राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त किये गये तथा 3 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां करवाई गईं। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सूचना आयोग हरियाणा को 958.30 लाख रुपये आंबटित किये गये, जिसके विरुद्ध आयोग द्वारा 863.59 लाख रुपये खर्च किये गये।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की अधिसूचना दिनांक 26.03.2014 को जारी की गई और हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए 1 जुलाई, 2014 को नियमावली भी अधिसूचित की हुई है और इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं चार राज्य सूचना आयुक्तों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यवस्था

करवाई हुई है ताकि सेवाओं का लाभ आम लोगों को समय पर मिल सके। (अनुसूचि-क) इस शाखा द्वारा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों/बोर्डों/निगमों की कुल 370 सेवायें अधिसूचित करवाई गई हैं। जिनका विवरण अनुबंध-ए पर है। इस वित्तीय वर्ष में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को 303.70 लाख रुपये आंबटित किये गये, जिसके विरुद्ध 271.29 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

### अमला निरीक्षण ईकाई

यह ईकाई अन्य विभागों और उनके कार्यालयों में अमले की आवश्यकता की जांच करने के लिए कार्याध्ययन करता है। जब भी किसी सरकारी विभाग/संगठन के कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त पदों की मांग की जाती है तब उस विभाग में निर्धारित अवधि के दौरान इस ईकाई द्वारा कार्याध्ययन किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हरियाणा सिविल सचिवालय की निम्न शाखाओं का कार्याध्ययन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

अमला निरीक्षण ईकाई द्वारा दिनांक 01.03.2018 से 31.03.2019 तक किये गये कार्याध्ययन/ निरीक्षण की सूची निम्न प्रकार से है :-

क्र० स०	विभाग/सचिवालय शाखा का नाम	कार्याध्ययन की तिथि	कार्याध्ययन के आधार पर सिफारिश किए गए पद
1	पेंशन शाखा	—	1 सहायक व एक स्टैनो टाईपिस्ट के पद का औचित्य पाया गया
2.	वेतन परिशोधन शाखा,	17.12.2018 से 21.12.2018	2 लेखा अधिकारियों के पदों का औचित्य पाया गया
3.	मुद्रण शाखा	07.01.2019 से 11.01.2019	शून्य
4.	स्वास्थ्य शाखा-I	04.02.2019 से 15.02.2019	शून्य
5.	स्वास्थ्य शाखा-II	11.02.2019 से 15.02.2019	शून्य
6.	स्वास्थ्य शाखा-III	11.03.2019 से 05.04.2019	एक पद सहायक का समाप्त करने का औचित्य पाया गया

### विलम्ब जांच ईकाई

विलम्ब जांच ईकाई का मुख्य कार्य हरियाणा सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करना है। यह शाखा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेशों की अनुपालना और किसी कर्मचारी द्वारा उनका अनुपालन न करने पर उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करना सुनिश्चित करती है। यह अनुभाग निरीक्षण के दौरान मिले मामलों में उनमें होने वाले अंतिम निर्णय तक अनुगामी कार्यवाही करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान

इस अनुभाग ने प्रशासकीय सुधार विभाग की सभी शाखाओं से मिलकर दिनांक 25.04.2018 को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोजगार विभाग, दिनांक 28.09.2018 को परिवहन विभाग, दिनांक 25.10.2018 को जिला शिक्षा अधिकारी पंचकूला, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकूला, खण्ड शिक्षा अधिकारी पिंजौर, संस्कृति मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर-20, पंचकूला, राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवी नगर, पंचकूला एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, देवी नगर, पंचकूला व दिनांक 20.12.2018 को नव सिविल सचिवालय का औचक निरीक्षण किया गया। इन केसों के अध्ययन उपरांत विलम्ब के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने बारे विभागों को सिफारिशें भेजी गईं।

### **सूचना का अधिकार सैल**

इस सैल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अन्य सभी विभागों/बोर्डों/निगमों एवं सरकारी सगठनों से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों, प्रथम अपीलों एवं द्वितीय अपीलों के प्रतिवेदनों को सम्बन्धित विभागों/बोर्डों/निगमों/सगठनों को स्थानान्तरित किये जाते हैं तथा हरियाणा सूचना आयोग से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों पर सरकार की तरफ से कार्यवाही करते हुए केसों का निपटान भी इस सैल द्वारा करवाया जाता है। इस वर्ष, आर0टी0आई0 सैल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त 1426 आवेदनों को धारा 6(3) के तहत एवं 85 प्रथम अपीलें धारा 19(1) के तहत स्थानान्तरित की गईं तथा 20 द्वितीय अपीलें का धारा 19(3) के तहत हरियाणा सूचना आयोग से निपटान करवाया गया।

### **अनुसंधान ईकाई**

अनुसंधान ईकाई का कार्य भारत सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु भेजना तथा प्राप्त सूचनाओं से संकलित/समग्र रिपोर्ट तैयार करना, दूसरी राज्य सरकारों एवं भारत सरकार में हुई उपलब्धियों के बारे सूचनाओं का आदान प्रदान करना और राज्य के सभी सम्बन्धित विभागों/निगमों/बोर्डों/संगठनों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना। इस विभाग द्वारा विभागीय वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट तैयार करके अनुमोदित करवाना एवं मुद्रित करवाना है और प्रधान मन्त्री अवाडो एवं अन्य अवाडो के लिए विभागों के नामों की सिफारिश भारत सरकार को भेजना है।


अनुसंधान ईकाई द्वारा दिनांक 04.04.2018 और दिनांक 18.10.2018 को कार्यालय में कार्यक्षमता बढ़ाने और विलम्ब रोकने के लिए विचाराधीन पत्र/मिसल/मामलों को समय पर निपटाने हेतु हिदायतें जारी की गईं एवं गत वर्ष 2017-18 की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट प्रकाशित करवाई गईं, जो कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की वैबसाईट पर उपलब्ध है

तथा दिनांक 21 अप्रैल, 2018 को सिविल सर्विस डे का आयोजन करवाया गया । इस ईकाई द्वारा "टीम हरियाणा फॉर परिवर्तन" कार्यक्रम के तहत 50 खण्डों में प्रदर्शन, सुधार एवं परिवर्तन लाने हेतु प्रशासकीय सचिव/वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवायें, भारतीय वन सेवायें के अधिकारियों की खण्ड आबंटित किये गये ताकि उनके जनहित कार्यों का शीघ्रता से निपटान किया जा सके।

इस शाखा द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एच0जी0आर0ए0) की स्थापना करवाई गई। जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4/30/2017-आर0यू0, दिनांक 04.01.2017 को जारी की गई है । इस प्राधिकरण का उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा राज्य में सभी नागरिकों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा उत्पीडन से छुटकारा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए किया गया है। इस प्राधिकरण की अधिसूचना के अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक अधिकारिता समिति का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य एच0जी0आर0ए0 द्वारा की गई सिफारिशों को सुनिश्चित करते हुए लागू करवाना है और अधिसूचना के शासन संरचना अनुसार विशेष कार्यों के क्षेत्रों की पहचान हेतु 07 टास्क ग्रुप भी बनाये हुए थे। दिनांक 04.01.2019 को 02 नए टास्क ग्रुप्स बनाये गये। अब कुल 09 टास्क ग्रुप्स हो गए हैं। एच0जी0आर0ए0 द्वारा वर्ष 2018-19 में 08 साधारण बैठकें बुलाई गई तथा विशेष कार्य क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों में बनाए गए टास्क ग्रुप्स द्वारा 17 बैठकें बुलाई गई तथा उन द्वारा की गई सिफारिश अनुसार विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवत्ता बढ़ाने हेतु 4 स्टेड्स रिपोर्टें प्रकाशित की गई।

# प्रशासकीय सुधार विभाग की प्रशासकीय संरचना

(स्वीकृत पदानुसार प्रशासकीय संरचना)



वर्ष 2018-19 में प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्यरत अमले का विवरण

क्र० स०	शाखा /विभाग का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रशासकीय सुधार विभाग	अवर सचिव	1	1	—
		जुनियर स्केल स्टैनो	1	—	1
		सेवादार	1	—	1
2.	प्रशासकीय सुधार शाखा	अधीक्षक	1	1	—
		सहायक	6	4	2
		स्टैनो टाईपिस्ट	1	—	1
		लिपिक / डी०ई०ओ०	1	1	—
		सेवादार	1	1	—
3.	अमला निरिक्षण ईकाई	अधीक्षक	1	1	—
		सहायक	4	4	—
		स्टैनो टाईपिस्ट	1	—	1
		लिपिक / डी०ई०ओ०	1	1	—
		सेवादार	1	—	1
4.	विलम्ब जांच ईकाई एवं आर०टी०आई०	अधीक्षक	1	1	—
		सहायक	5	2	3
		स्टैनो टाईपिस्ट	1	—	1
		लिपिक / डी०ई०ओ०	1	1	—
		सेवादार	1	1	—
5.	अनुसंधान ईकाई	अनुसंधान अधिकारी	1	1	—
		सहायक अनुसंधान अधिकारी	2	—	2
		सहायक	1	1	—
		स्टैनो टाईपिस्ट	1	—	1
		लिपिक / डी०ई०ओ०	1	—	1
		सेवादार	1	1	—
		कुल संख्या	37	22	15

### राज्य चौकसी विभाग की रिपोर्ट

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस विभाग से भ्रष्टाचार का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है । अतः इस विभाग से विषयांकित मामले की सूचना शून्य है ।

## हरियाणा राज्य सूचना आयोग

24 मई, 1997 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी व उत्तरदायी सरकार' में सर्व सम्मति में सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। स्वतंत्रता के अधिकार नियम, 2002 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। केन्द्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना दिया गया। प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा भी प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया हुआ है जिसका मुख्य कार्यालय एस0सी0ओ0 70-71, सैक्टर 8सी0, मध्य मार्ग, चण्डीगढ में स्थापित किया हुआ है। इस आयोग में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों के कार्यों के निपटान हेतु द्वितीय अपीलों के केसों की सुनवाई करने के लिए एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 राज्य सूचना आयुक्तों के पद तथा केसों को समय पर निपटान हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 123 पद सृजित करवाये हुए हैं जिसका विवरण अनुसूची "क" पर है। आयोग द्वारा विडियों कान्फ्रेंसिंग से भी केसों की सुनवाई की जा रही है।

सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 9588 अपीलें प्राप्त हुई, जिनमें से 9153 अपीलों का निपटान किया गया और 379 उत्तरदायी व्यक्तियों पर 62,11,750/-रु0 का जुर्माना लगाया गया। 55 केसों में 9,06,959/-रु0 का जुर्माना वसूल किया गया। कलैण्डर वर्ष 2018 में आयोग द्वारा धारा 20(1) के तहत 305 केसों में 60,69,500 रुपये की राशि के जुर्माने लगाये गये, धारा 19(8)(बी) के तहत 141 केसों में 4,74,000 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई गई, धारा 20(2) के तहत 383 केसों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई। इस वित्तीय वर्ष में आयोग को 958.30 लाख रुपये आंबटित किये गये, जिसके विरुद्ध आयोग द्वारा 863.59 लाख रुपये खर्च किये गये। वर्ष 2018-19 में आयोग से तीन राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त हुए थे और तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां की गई। कार्यरत मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों का विवरण अनुसूची-ख पर देखें।

## अनुसूची-क

हरियाणा राज्य सूचना आयोग के स्वीकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का विवरण:-

क्र० सं०	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	1
2.	राज्य सूचना आयुक्त	10
3.	सचिव (एच०सी०एस० काडर)	1
4.	अवर सचिव	1
5.	वरिष्ठ सचिव/मुख्य सूचना आयुक्त	1
6.	निजि सचिव/ राज्य सूचना आयुक्त	10
7.	कानून सलाहकार	1
8.	लेखाधिकारी	1
9.	अनुसंधान अधिकारी एवं सलाहकार	1
10.	अधीक्षक	1
11.	प्रोग्रामर	1
12.	निजि सहायक	12
13.	सहायक	2
14.	लेखा सहायक	1
15.	रीडर	11
16.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
14.	स्टैनो टाईपिस्ट	11
15.	लिपिक एवं कम्प्युटर आपरेटर	14
16.	चालक	13
17.	सेवादार	29
	कुल संख्या	123

## अनुसूची-ख

हरियाणा राज्य सूचना आयोग में इस अवधि के दौरान कार्यरत रहे मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का तिथिवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	नाम एवं पद संज्ञा	नियुक्ति की तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	श्री यशपाल सिंगल, आई०पी०एस० (सेवानिवृत्त), मुख्य सूचना आयुक्त	28.04.2017	23.03.2022
2	श्री समीर माथुर, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त), राज्य सूचना आयुक्त	01.11.2013	24.08.2018
3	श्री योगेन्द्रपाल गुप्ता, आयुक्त	01.11.2013	08.07.2018
4	श्री हेमन्त अत्रे, राज्य सूचना आयुक्त	01.11.2013	31.10.2018
5	श्री शिव रमन गौड, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त), आयुक्त	27.07.2014	02.04.2019
6.	श्रीमती रेखा, राज्य सूचना आयुक्त	27.07.2014	26.07.2019
7.	श्री भूपेन्द्र सिंह धर्माणी, राज्य सूचना आयुक्त	01.04.2016	31.03.2021
8.	श्री सुखबीर सिंह गुलिया, राज्य सूचना आयुक्त	01.04.2016	15.07.2019
9.	श्री नरेन्द्र सिंह यादव, राज्य सूचना आयुक्त	28.04.2017	14.02.2022
10.	श्री चन्द्र प्रकाश, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त), राज्य सूचना आयुक्त	29.12.2017	19.10.2022
11.	श्री अरूण सांगवान, राज्य सूचना आयुक्त	29.12.2017	02.07.2022
12	लैफ० जनरल कमलजीत सिंह (सेवानिवृत्त), राज्य सूचना आयुक्त	08.03.2019	14.07.2021
13	कमलदीप भण्डारी, राज्य सूचना आयुक्त	08.03.2019	07.03.2024
14.	श्री जय सिंह बिश्नोई, राज्य सूचना आयुक्त	08.03.2019	07.03.2024

## हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग

भारत सरकार द्वारा सिद्धान्तिक रूप से ऐसा कानून बनाने का निर्णय लिया गया था कि नागरिकों को एक समयबद्ध अवधि में सेवायें देना सुनिश्चित किया जा सके। इस सम्बन्ध में श्री नारायणसामी, राज्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त अर्धसरकारी पत्र क्रमांक ए0-15013/2/2011-पी0जी0(वाल्चूम-2)पार्ट दिनांक 17/11/2011 के साथ प्राप्त भारत सरकार का नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक 2011 की प्रति प्राप्त हुई थी और दिनांक 30.12.2011 को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाकर निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य में सेवा के अधिकार अधिनियम को तुरन्त कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि राज्य में नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप एक निश्चित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता तंत्र पर कानून का सकारात्मक दबाव पड़ सके।

हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 09.12.2013 को एक अध्यादेश नामतः हरियाणा सेवा का अधिकार अध्यादेश, 2013 जारी किया गया था। तदोपरान्त हरियाणा विधान सभा सत्र में दिनांक 26.03.2014 को हरियाणा राज्य में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 जारी किया गया। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 का उद्देश्य राज्य की जनता को समयबद्ध तरीके से सेवायें प्रदान करना है। इस अधिनियम की धारा 13(1) के अन्तर्गत जुलाई, 2014 में गठित आयोग का कार्यालय एस0सी0ओ0 38-39, दूसरा एवं तीसरा तल, सैक्टर 17ए0, चण्डीगढ़ में स्थापित किया हुआ है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अभिनाम अधिनियम के अधीन नियम भी बनाये गये हैं। अधिनियम की धारा 17(4) के तहत प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग एतद् द्वारा अपने कार्यों के प्राभावशाली प्रबन्धन के लिए विनियम बनाए है। यह विनियम हरियाणा सेवा आयोग (प्रबन्धन) विनियम-2015 कहे जाते है। इस आयोग के विनियम के अन्तर्गत एक मुख्य आयुक्त तथा चार आयुक्तों के पद एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित कुल 48 पद सृजित करवाये हुए हैं (अनुसूची-क देखें)।

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0 द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक सभी सम्बन्धित विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल 370 सेवायें अधिसूचित करवाई गई है। इस वर्ष आयोग में प्राप्त 43 केसों में से 34 केसों का निपटान किया गया और आयोग द्वारा 14 व्यक्तियों पर 53,500-00 रुपये का जुर्माना किया है। इस वित्तीय वर्ष में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को 303.70 लाख रुपये आंबटित किये

गये, जिसके विरुद्ध 271.29 लाख रुपये खर्च किये गये है। कार्यरत मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों का विवरण अनुसूची-ख पर देखें।

### अनुसूची-क

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण:-

क्र० सं०	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	मुख्य आयुक्त	1
2.	आयुक्त	4
3.	सचिव (एच०सी०एस० काडर)	1
4.	निजि सचिव	5
5.	निजि सहायक	6
6.	रिडर	5
7.	अधीक्षक	1
8.	सहायक	2
9.	अनुभाग अधिकारी	1
10.	लेखा सहायक एवं खजांची	1
11.	स्टैनों टाईपिस्ट एवं कम्प्युटर आपरेटर	5
12.	चालक	6
13.	सेवादार	8
14.	सफाईवाला	1
15.	चौकीदार	1
	कुल संख्या	48

### अनुसूची-ख

वर्ष 2018-19 में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में कार्यरत रहे मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों एवं उनकी नियुक्ति तथा सेवानिवृत्त का तिथिवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	नाम एवं पद संज्ञा	जन्म की तिथि	नियुक्ति की तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	श्री एस० सी० चौधरी, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त), मुख्य आयुक्त	06.04.1954	01.08.2014	05.04.2019
2	श्री सरबन सिंह, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त), आयुक्त	21.12.1954	27.07.2014.	26.07.2019
3	डॉ० अमर सिंह, आयुक्त	15.02.1956	27.07.2014	26.07.2019
4	श्री सुनील कत्याल, आयुक्त	16.04.1956	27.07.2014	26.07.2019
5	श्री हरदीप कुमार, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त), आयुक्त	06.12.1956	13.02.2017	05.12.2021

## हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एच0जी0आर0ए0)

राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा उत्पीड़न से छुटकारा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एच0जी0 आर0ए0) का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण का कार्यालय एस0सी0ओ0 58-59, दूसरा एवं तीसरा तल, सी0एम0सी0 भवन, सैक्टर 17सी0, चण्डीगढ़ में स्थापित किया गया है। इस प्राधिकरण की अधिसूचना क्रमांक 4/30/2017-आर0यू0, दिनांक 04.01.2017 को जारी की गई है और इस प्राधिकरण की अधिसूचना क्रमांक 4 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक अधिकारिता समिति का भी गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ए0जी0आ0ए0 द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करके सुनिश्चित करना है। ए0जी0आ0ए0 के कार्यों के संचालन हेतु पत्र दिनांक 28.08.2017 से कुल 28 कर्मचारियों/अधिकारियों के पदों की स्वीकृती प्रदान की गई (अनुसूची-क देखें) तथा अधिसूचना के क्रमांक 5, शासन संरचना के अनुसार विशेष कार्यों के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु, राज्य के सभी विभागों/निगमों/बोर्डों/संगठनों के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों/परियोजनाओं इत्यादि की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु पत्र दिनांक 30.06.2017 से 7 टास्क ग्रुप्स (पुलिस सेवायें, फॉर्मस का सरलीकरण, अटल सेवा केन्द्रों का प्रभाव से लागू करना, शिकायत निवारण, स्वास्थ्य सेवायें, औद्योगिक विकास के नार्मस नियम व प्रक्रिया की पुनः अभियन्त्रिकरण तथा महिला सुरक्षा एवं लिंग न्याय हेतु सार्वजनिक नितियां) बनाये गये है। दिनांक 04.01.2019 को 02 नए टास्क ग्रुप्स (राज्य की सार्वजनिक ईकाई के कार्यप्रणाली में सुधार करना और नागरिक और सरकार के विवाद को कम करने की यांत्रिकरण एवं रणनीति तैयार करना) बनाये गये। अब कुल 09 टास्क ग्रुप्स हो गए हैं। एच0जी0आर0ए0 द्वारा वर्ष 2018-19 में 08 साधारण बैठकें बुलाई गई तथा विशेष कार्य क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों में बनाए गए टास्क ग्रुप्स द्वारा 17 बैठकें बुलाई गई तथा उन द्वारा की गई सिफारिश अनुसार विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवत्ता बढ़ाने हेतु 4 स्टेट्स रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई। इस वित्तीय वर्ष में हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण को 161.47 लाख रुपये आबटित किये गये, जिसके विरुद्ध 52.17 लाख रुपये खर्च किये गये है।

## अनुसूची-क

हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण के स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	निदेशक	1
2.	कार्यकारी अधिकारी	1
3.	लेखाअधिकारी-एवं-डी०डी०ओ०	1
4.	निजि सचिव/अध्यक्ष एवं सदस्यो	3
5.	नोडल अधिकारी	1
6.	अनुसंधान अधिकारी	2
7.	अनुसंधान सहायक	2
8.	कार्यालय सहायक	4
9.	स्टैनो एवं निजि सहायक	1
10.	प्रोग्रामर (डाटा एवं वैब)	1
11.	केयरटेकर	1
12.	डी०ई०ओ०	4
13.	स्वीपर एवं चौकीदार	2
14.	सेवादार	4
	कुल संख्या	28

अनुबन्ध- ए

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा दिनांक 31.03. 2017 तक विभिन्न विभागों की सेवाये अधिसूचित की गई है जो निम्न प्रकार से है।

अनुसूची

सेवाये क0स0	क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	(i) फर्द केन्द्र स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि	1 दिन	ड्यूटी पटवारी-1	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
2			(ii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से कम है)	2 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
3			(iii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से अधिक किन्तु 15 से कम है)	3 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
4			(iv) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 15 से अधिक है)	7 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
5	2		भूमि का सीमांकन यदि खड़ी फसल नहीं खड़ी तो	45 दिन	सर्कल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

6	3	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	सभी प्रकार के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन अर्थात् विक्रय, जी.पी. ए. भागीदारी विलेख इत्यादि	1 दिन	उप रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
7	4		सभी प्रकार के पूर्व रजिस्टर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ	7 दिन	उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
8	5		अविवादित इन्तकाल का सत्यापन	30 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
9	6		भूमि का निजी बटवारा भूमि स्वामियों की आपसी सहमति	60 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
10	7		आय प्रमाण-पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
11	8		क्षेत्र/उत्तराधिकार/आश्रित प्रमाण-पत्र/प्रतिहस्ताक्षर इत्यादि	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
12	9		रहन प्रथम प्रभार (मोटगेज फर्स्ट चार्ज)	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
13	10		हस्तातरण विलेख का रजिस्ट्रेशन	1 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
14	11		पट्टे से पूर्ण स्वामित्व में रूपांतरण	30 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
15	12		अनुसूचित जाति प्रमाण -पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
16	13		पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
17	14		अन्य पिछड़ा जाति प्रमाण -पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
18	15		विशेष पिछड़ी जाति प्रमाण -पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
19	16		टपरीवास प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
20	17		विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
21	18		आर्थिक रूप से पिछड़ी सामान्य जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
22	19		आवास प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

23	20	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
24	20 क		जलसा/ जनसभा/ जलूस/ भोभा यात्रा/ छठ पूजा/ विवाह हेतु उपबंध (केवल एस0पी0, एस0 डी0 एम0, एम0सी0 फायर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
25	20 ख		फनफेयर/सर्कस/मैजिक भो हेतु अनुमति (केवल एस0 पी0, एस0 डी0 एम0, एम0 सी0 फायर तथा आबकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
26	20 ग		टूर्नामेंट/खेल के लिए अनुमति (केवल एस0 पी0, एस0 डी0 एम0, खेल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू )	5 दिन	जिलाधीश/उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
27	20 घ		जलसा/ सार्वजनिक बैठक/ जलूस/भोभा यात्रा/छठपूजा/विवाह के लिये लाउडस्पीकरों /डीजे के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस0एच0ओ0 से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू ।	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
28	20 ङ		फनफेयर/सर्कस/मैजिक भो हेतु लाउडस्पीकरों / डीजे की अनुमति (केवल स्थानीय एस0एच0ओ0 से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
29	20 च		टूर्नामेंट/खेल हेतु लाउडस्पीकरों /डीजे की अनुमति (केवल स्थानीय एस0एच0ओ0 से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त

30	20 छ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	लाउडस्पीकरों/डीजे के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस0एच0ओ0 से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
31	20 ज		संसदीय चुनाव अभियान के दौरान वाहन हेतु परमिट/अनुमति (केवल एस0पी0, एस0डी0एम0, से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	जिलाधीश/उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
32	20 झ		विधानसभा/राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन के लिए परमिट/अनुमति (केवल स्थानीय एस0एच0ओ0 से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
33	20 ञ		विधानसभा/राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस0एच0ओ0 से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
34	20 ट		संसदीय चुनाव अभियान के दौरान वाहन पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति (केवल एस0पी0, एस0डी0एम0, से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
35	20 ठ		प्रॉपर्टी डीलर लाइसेंस	5 दिन	जिला कलक्टर	मण्डल आयुक्त	सचिव, राजस्व
36	20 ड		प्रॉपर्टी डीलर लाइसेंस का नवीनीकरण	5 दिन	जिला कलक्टर	मण्डल आयुक्त	सचिव, राजस्व
37	20 ढ		हिन्दू डोगरा समुदाय प्रमाण-पत्र	7 दिन	तहसीलदार/नायब तहसीलदार	उप मंडल मजिस्ट्रेट एवं उप मंडल अधिकारी (ना0)	उपायुक्त
38	20 ण		सी0एस0सी0 से विलेख पंजीकरण के लिए समय (प्रति सी0एस0सी0 अधिकतम दो के समय के अध्यक्षीन प्रति दिन प्रति तहसील अधिकतम दस को समय) देना	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना0) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार

39	20 त	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	विलेख के पंजीकरण हेतु ऑनलाईन समय (अधिकतम दस को प्रति दिन प्रति तहसील समय) देना	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना0) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
40	20 थ		लिखित जैसे विक्रय हस्तांतरण-पत्र, रेहन, पट्टा/ किराये इत्यादि के लिए विलेख लेखन	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना0) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
41	20 द		लिखित जैसे मुख्तारनामा, वसीयत प्राधिकार ग्रहण करना, दत्तक विलेख, तलाक विलेख करार इत्यादि के लिए विलेख लेखन	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना0) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
42	20 ध		लिखित जैसे निर्माण, हस्तांतरण विलेख, उपहार विलेख, विभाजन तथा अन्य दस्तावेजों के लिए विलेख लेखन	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना0) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
43	20 न		द्वितीय प्रति	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना0) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
44	21	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	औषधि निर्माण अनुज्ञा का नवीनीकरण	45 दिन	राज्य औषधि नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग
45	22		ब्लक दवाओ/ योगों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी कराना	15 दिन	राज्य औषधि नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग
46	22 क		खुदरा औषधि अनुज्ञप्ति (फार्मसी) जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
47	22 ख		औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) के अधीन रक्त बैंक संचालन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना	30 दिन	राज्य औषधि नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
48	22 ग		औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) तथा भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) के अधीन अस्पताल (दानों बहिरंग	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग

			तथा अंतरंग फार्मसी) में औषधि स्टोर के संचालन के लिए पंजीकरण जारी करना				
49	22 घ	खाद्य तथा औषधि प्रशासन	रक्त बैंक खोलने तथा चलाने के लिए पंजीकरण जारी करना (स्थानीय खाद्य तथा औषधि प्राधिकारी)	30 दिन	राज्य औषधि नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
50	22 ड		राज्य औषधि नियंत्रक संस्थान द्वारा राज्य में फार्मसी स्थापित करने के लिए औषधि अनुज्ञप्ति जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
51	22 च		थोक औषधि अनुज्ञप्ति जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
52	22 छ		खुदरा औषधि अनुज्ञप्ति (फार्मसी) का नवीकरण जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
53	22 ज		औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) के अधिन रक्त बैंक संचालन के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण जारी करना	30 दिन	राज्य औषधि नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
54	23	स्वास्थ्य विभाग	जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ -ग्रामीण क्षेत्र (पहले से पंजीकृत) चालू वर्ष के लिए पूर्व वर्षों के लिए	14 दिन 30 दिन	जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु सम्बद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सम्बद्ध जिले के उप सिविल सर्जन (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार जन्म तथा मृत्यु- सम्ब) जिले का सिविल सर्जन	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
55	24	स्वास्थ्य/ शहरी स्थानीय निकाय	पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण पर जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण (घटना के एक वर्ष बाद)	60 दिन (रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार तथा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रत्येक के लिए 20 दिनों)	सम्बद्ध रजिस्ट्रार/ जिला रजिस्ट्रार	सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
56	25		जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र (नाम प्रविष्टि तथा नया जन्म प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ)	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं उप सिविल सर्जन, जो भी लागू हो।	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार एवं सिविल सर्जन (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

57	26		पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण के बाद जन्म तथा मृत्यु की प्रविष्टि का शुद्धिकरण	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय/ यथा लागू जिला रजिस्ट्रार	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
58	27	स्वास्थ्य/ शहरी स्थानीय निकाय	(i) जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां-नगर निगम शहर चालू वर्ष के लिए	14 दिन	सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
			पहले से ही पंजीकृत	30 दिन	सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
			(ii) जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां-नगर कस्बों चालू वर्ष के लिए	7 दिन			
			पहले से ही पंजीकृत	15 दिन			
59	28	शहरी स्थानीय निकाय	जल आपूर्ति तथा मलवहन कनेक्शन (केवल नगर निगम गुडगांव तथा फरीदाबाद में लागू)	7 दिन	सम्बद्ध नगर निगम में सहायक अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में कार्यकारी अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में अधीक्षक अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता
60	29		नगर निगम, नगर परिषद, नगर समितियों में हस्तांतरण अभिलेख जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी, सम्ब) नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी तथा सम्ब) नगर पालिका समिति में सचिव	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्ब) उप मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्ब) जिला का उपायुक्त
61	30		नगर निगम द्वारा नई व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त
62	31		नगर निगमों द्वारा व्यावसाय अनुज्ञप्ति का नवीकरण	12 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त
63	32		गलियों/सड़कों से ठोस अपशिष्ट हटाना	2 दिन	नगर निगम में मुख्य सफाई निरीक्षक, सम्ब) नगर परिषद में मुख्य सफाई निरीक्षक तथा नगर पालिका समिति में सफाई निरीक्षक	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त, नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका समिति के मामले में सचिव	निगम शहरों के मामले में संयुक्त आयुक्त, नगर पालिका कस्बों के मामले में सम्ब) उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी

64	33	शहरी स्थानीय निकाय	स्ट्रीट लाईट्स का प्रतिस्थापन	10 दिन	निगम शहरों में सहायक अभियन्ता, सम्ब) नगर पालिका परिषद तथा समितियों में कनिष्ठ अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अभियन्ता, सम्ब) नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में नगर पालिका अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में अधीक्षक अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता सम्ब) नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में सम्ब) उपमण्डल का उप मण्डल अधिकारी
65	34		वाटर लिकेज/सिवरेज ब्लाक/ओवर फ्लो (नगर निगम गुडगांव तथा फरीदाबाद के मामले में)	2 दिन	नगर निगम गुडगांव या फरीदाबाद के सम्बन्ध में निगम शहरों में सहायक अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगांव के मामले में कार्यकारी अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगांव के मामले में अधीक्षक अभियन्ता / कार्यकारी अभियन्ता
66	35		(i) 1000 वर्गमीटर तथा उससे अधिक के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोग के सिवाय सभी उपयोगों तथा आकारों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहर स्थानीय निकाय	नगर पालिका परिषद/ समितियों के मामले में सम्बद्ध उपमण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के मामले में सम्बद्ध नगर निगम का आयुक्त	नगर पालिका परिषद/ समितियों के मामले में सम्बद्ध जिले का उपायुक्त तथा नगर निगम के मामले में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहर स्थानीय निकाय विभाग
67			(ii) 1000 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोग के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहर स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहर स्थानीय निकाय विभाग	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
68			(iii) 5000 वर्गमीटर तथा से अधिक के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोग के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहर स्थानीय निकाय	निदेशक शहर स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
69			(iv) नगर पालिका गुडगांव तथा फरीदाबाद में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन (5 एकड़ तक)	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर निगम गुडगांव / फरीदाबाद	आयुक्त नगर निगम गुडगांव / फरीदाबाद	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
70			(v) 5 एकड़ से अधिक के स्थलों के लिए गुडगांव तथा फरीदाबाद में तथा अन्य नगर	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार

			निगमों/ परिषदों/समितियों में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन				
71	36	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	नगर पालिका सीमाओं के भीतर आने वाले विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित स्थलों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति सिवाय उन मामलों में जहां सरकार की सक्षमता है	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
72	37		अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनकरण	15 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप- मण्डल का एस0 डी0 ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त
73	38		निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) जारी करना:- क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई के होटल (ए-5) ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई के शैक्षिक भवन (बी) ग) संस्थागत भवन (सी) i) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1) ii) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (परीक्षक) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल घ) 4000 वर्ग मीटर तक के	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप- मण्डल का एस0 डी0 ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

			<p>प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-ट)</p> <p>ड)4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मर्केटाइल और व्यापार भवन ( इ, एफ-1 एण्ड एफ-2)</p> <p>च) औद्योगिक भवन (जी)</p> <p>(i) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र कम खतरनाक (जी-1)</p> <p>(ii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र (साधारण खतरनाक (जी-2)</p> <p>(iii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र (उच्च खतरनाक (जी-3)</p> <p>(छ)उंचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)</p>				
74	39	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	<p>निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करना:-</p> <p>(क) आवासीय भवन (ए):-</p> <p>i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु उंचाई में 35 मीटर से अधिक की शयनशाला (ए-3) तथा फ्लैट गृह (अपार्टमेंट हाउस)(ए-4)</p> <p>ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम</p>	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त	नगर निगम के मामले में अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग जबकि नगर परिषद द्वारा समितियों के मामले में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय।

			<p>उंचाई के होटल (ए-5)  (ख) 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के भौक्षणिक भवन (बी)</p> <p>(ग)संस्थागत भवन (सी)</p> <p>i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के अस्पताल, सेनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1)</p> <p>ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की उंचाई के कस्टोडियल(सी-2) (परीक्षक) तथा दण्डिक तथा प्लेन्टल (सी-3)</p> <p>(घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5)</p> <p>(ड) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मर्कटाईल और व्यापार भवन (ई, एफ-1 तथा एफ-2)</p> <p>(च) औधोगिक भवन (जी)</p> <p>(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के कम खतरनाक (जी-1) औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2)</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के साधारण खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) औद्योगिक भण्डारण भवन(एच) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के प्लॉट सहित 15 मीटर से कम उंचाई के भण्डारण भवन ।				
75	40	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	क्रम संख्या 38 तथा 39 में न आने वाले भवनों के मामले के राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना ।	60 दिन	अग्नि अधिकारी मुख्यालय	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग ।
76	41		निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्निभामन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण:- क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उंचाई के होटल (ए-5) ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उंचाई के शैक्षिक भवन (बी) ग) संस्थागत भवन (सी) i) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की उंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप- मण्डल का एसओडीओ (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

			<p>नर्सिंग होम (सी-1)( ii) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (परिक्षक)(सी-2) तथा दण्डक तथा प्लैन्टल(सी 3) घ) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी 1 से डी 5), ड 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मरकाटाईल एवं व्यापार भवन (इ, एफ-1 एवं एफ-2) च) औद्योगिक भवन (जी) (i) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (कम खतरनाक (जी-1) (ii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र ( साधारण खतरनाक) (जी-2) (iii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र ( उच्च खतरनाक (जी-3) छ) उंचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)</p>				
77	42	शहरी स्थानीय निकाय	निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करना:-	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग। नगर समिति तथा परिषद के मामले में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय ।

			<p>(क) आवासीय भवन (ए):-  (i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु उंचाई में 35 मीटर से अधिक नहीं की शयनशाला (ए-3) तथा फ्लैट गृह (अपार्टमेंट हाउस) (ए-4)  (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के होटल (ए-5)  (ख) 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के शैक्षणिक भवन (बी)  (ग) संस्थागत भवन (सी)  (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के अस्पताल, सैनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1)  (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 10 मीटर से कम उंचाई कंसटोडियल (सी-2) और पैनल एवं पैलैन्टल ( सी-3)  (घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5)  (ड.) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2)  (च) औद्योगिक भवन (जी)</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औद्योगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औद्योगिक भवन औद्योगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के भण्डारण भवन (एच)				
78	43	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	41 तथा 42 में न आने वाले भवनों के मामलों में राष्ट्रीय भवन को नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि शमन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण।	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास
79	44		सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक/अधियोगी का परिवर्तन /मृत्यु मामले के सिवाए	15 दिन	सचिव/ई.ओ./सम्बद्ध नगर समिति/परिषद/निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में सम्बन्धित निगम का आयुक्त
80	45		सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक/अधियोगी का परिवर्तन/मृत्यु मामले में	45 दिन	सचिव/ई.ओ./सम्बद्ध नगर समिति/परिषद/निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में सम्बन्धित निगम का आयुक्त

	46 एवं 46 क		दिनांक 27.07.2018 को इस कमांक की सेवाये समाप्त कर दी गई है।				
81	47	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल जारी करना	3 दिन	सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
82	48		(i) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में जलपूर्ति के कनेक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
			(ii) शहरी तथा एम सी शहर में सीवरेज के कनेक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
83	49		(i) पानी का रिसाव होना/ पाईप से अतिरिक्त पानी बहना	7 दिन	जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग का सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग का सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग का सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
84			(ii) सीवरेज में रूकावट /मेन होलों में से बाहर सीवर का पानी बहना	7 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
85			(iii) जलापूर्ति सुचारु करना जो कि छोटी गडबडी जैसे कि पम्पिंग मशीनरी, बिजली की तार, वितरण प्रणाली में खराबी इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई हो।	3 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
86			(iv) जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि कच्चे पानी की कमी ट्रांसफार्मर का जलना और एलटी/एच टी लाईनों में बाधा	6 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
87			(v) जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि ट्रांसफार्मर का जलना, बिजली की दूसरी मुख्य बाधाएँ जो जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक/ मुरम्मत की जानी है।	10 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
88	50	विद्युत विभाग	नार्मल फ्यूज ऑफ कॉल शहरों तथा कस्बों में	4 घंटे	सम्बद्ध लाईनमैन/ शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)

			ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	सम्बद्ध लाईनमैन/ शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)
89	51		ओवरहेड लाईन ब्रेकडाऊन्स शहरों तथा कस्बों में	8 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
			ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
90	52		खंभों के टूटने के कारण ओवरहेड लाईन ब्रेकडाउन	24 घण्टों के अन्दर शहर तथा कस्बे	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उप मण्डल अधिकारी (परिचालन)	कार्यकारी अभियन्ता (परिचालन)
			ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
91	53		अन्दरग्रान्ड कैबेल्स ब्रेकडाऊन्स शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
			ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
92	54		डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फेलियुर शहरों तथा कस्बे	24 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
			ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
93	55		मैजर पॉवर फेलियुर इन्वाल्विंग पॉवर ट्रांसफॉर्मर/ इक्युपमैन्ट	7 दिन	एक्स0ई0एन0/ कन्सट्रक्शन	एस0ई0 (ओ0पी0)	सौ0ई0 (ओ0पी0)
			प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति फिर से चालू करने के लिए रददोबदल प्रबन्धन	24 घंटों			
94	56		शैडयूल्ड आऊटैज की अवधि (क) सिंगल स्ट्रेच में अधिकतम अवधि	किसी भी दिन में 8 घण्टों से अधिक नहीं	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उप मण्डल अधिकारी (परिचालन)	कार्यकारी अभियन्ता (परिचालन)
			(ख) आपूर्ति बहाल करना	किसी भी दिन सांय 6.00 तक	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उप मण्डल अधिकारी (परिचालन)	कार्यकारी अभियन्ता (परिचालन)
			टिप्पण-। बिजली की कमी/ग्रिड मुद्दों के मामले में स्थानीय (क्षेत्रिय) कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है। टिप्पण-।। स्थानीय (क्षेत्रिय) अधिकारी प्रणाली आदी के विस्तार/ अनरक्षण के लिए उनके द्वारा लगाये गये निर्धारित कट/शटडाउन के लिए जिम्मेवार है।				
95	57		नेटवर्क इनवोल्वड के बिना विस्तार/इन्हानसमेंट के साथ वोल्टेज फलकचूयेशन नगर तथा कस्बे ग्रामीण क्षेत्र-मीटर टैसटिंग	4 घण्टे 8 घण्टे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
96	58	विद्युत विभाग	मीटर शिकायतें (i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना - मीटर की टस्टिंग फीस की प्राप्ति के बाद	7 दिन	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)

97			(ii) स्लो/फास्ट मीटर/ क्रीपिंग/ स्टक/ डिफेक्टिव मीटर का बदलना	चैकिंग पर इसके स्थापित किये जाने के 7 दिन के भीतर	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
98			(iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है।	7 दिन	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
99			(iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना।	उपभोगता मीटर के मामले में 72 घण्टे तथा उपभोगताओं द्वारा निगम मीटर के प्रभारों के भुगतान के मामले में 24 घण्टों के अन्दर	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
100	59		नये कनेक्शन/ अतिरिक्त लोड/ मांग देना	30 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)
101			(a)कनेक्शन देना जहां सेवाएं विद्यमान नेटवर्क से व्यवहार्य है				
102			(b)कनेक्शन देना जहां नेटवर्क एक्सपेंशन/ इनहान्समेंट कनेक्शन देने के लिए अपेक्षित है (सिवाय कृषि) (i)एल0टी0कनेक्शन के लिए	30 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)
			(ii) 11 के0वी0 कनेक्शन के लिए	71 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)
			(iii) 33 के0वी0 कनेक्शन के लिए	97 दिन के भीतर	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)	सी.ई.(ओ.पी.)
			(iv) 33 के0वी0 स्तर कनेक्शन से अधिक	167 दिन	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)	सी.ई.(ओ.पी.)
103	60	विद्युत विभाग	शीर्ष का हस्तांतरण तथा सेवाओं का रूपांतरण (क) शीर्ष का हस्तांतरण तथा प्रवर्गों का परिवर्तन	7 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)

104	60	विद्युत विभाग	(ख) एल0टी0एकल फेज से एल0टी 3 फेज में संपरिवर्तन या परस्पर-भूगतान प्रभार की तिथी से	30 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
105			(ग) एल0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर- भूगतान प्रभार की तिथी से	30 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
106			(घ) एच0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर- भूगतान प्रभार की तिथी से	30 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
107	61	विद्युत विभाग	मीटर/सेवा कनैक्शन की शिपिंग तथा अन्य सेवाएं । (i) मीटर/सेवा कनैक्शन की शिपिंग	विहित प्रभारों सहित अनुरोध की पावती के बाद 15 दिन के अन्दर	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (परिचालन)	कार्यकारी अभियंता (परिचालन)
108			(ii) 11 के0वी0 तक एल0टी0/एच0टी0 लाईनों को बदलना ।	विहित प्रभारों सहित अनुरोध की पावती के बाद 45 दिन के अन्दर	उपमण्डल अधिकारी (परिचालन)	कार्यकारी अभियंता (परिचालन)	अधीक्षक अभियंता (परिचालन)
109			(iii) 11 के0वी0 से अधिक एच0टी0 लाईनों को बदलना ।	विहित प्रभारों सहित अनुरोध की पावती के बाद 45 दिन के अन्दर	उपमण्डल अधिकारी (परिचालन)	कार्यकारी अभियंता (परिचालन)	अधीक्षक अभियंता (परिचालन)
110			(iv) ट्रांसफार्मर को बदलना ।	विहित प्रभारों सहित अनुरोध की पावती के बाद 60 दिन के अन्दर	उपमण्डल अधिकारी (परिचालन)	कार्यकारी अभियंता (परिचालन)	अधीक्षक अभियंता (परिचालन)
<p>टिप्पण:- लाईनों तथा ट्रांसफार्मरों की शिपिंग राईट ऑफ वे (आर0ओ0डब्ल्यू) की उपलब्धता तथा उपभोक्ता द्वारा शिपिंग की लागत जमा करवाने, जहाँ भी लागू हो, के अध्यक्षीन ।</p> <p>टिप्पण- ।। स्थानीय (क्षेत्रीय) अधिकारी प्रणाली आदी के विस्तार/ अनुरक्षण के लिए उनके द्वारा लगाये गये निर्धारित कट/शटडाउन के लिए जिम्मेवार है ।</p>							
111	62	विद्युत विभाग	उपभोक्ता बिल के बारे शिकायत और आपूर्ति को पुनः स्थापित करना । यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित नहीं है ।	24 घंटे	वाणिज्यिक सहायक  वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)  उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)  कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)

			यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है ।	7 दिन	वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
112	63	विद्युत विभाग	बिलों के भुगतान न करने के कारण काटी गई आपूर्ति को पुनः जोड़ना । शहरों और नगरों – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद । ग्रामिण क्षेत्र – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद ।	6 घंटे 12 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन) उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
113	63 क		33 के0वी0 से ऊपर के मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा विद्युत संस्थापन का प्रमाणीकरण	30 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियंता	मुख्य विद्युत निरीक्षक	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, विद्युत' ।
114	64	परिवहन विभाग	(i) नौ सिखिया चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
115			(ii) स्थाई चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना ।	10 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
116			(iii) चालन लाइसेंस का नवीकरण ।	37 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
117			(iv) डुप्लीकेट चालन लाइसेंस जारी करना	10 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
118			(v) चालन लाइसेंस में नई श्रेणी का पृष्ठांकन	10 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
119	65		कन्डक्टर लाइसेंस जारी करना	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
120	66		(i) नये वाहनो का पंजीकरण ।	15 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

121			(ii) स्वामित्व का अंतरण।	37 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
122			(iii) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
123			(iv) डुप्लीकेट आर0सी0 जारी करना।	10 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
124			(v) कर समा गोधन प्रमाण पत्र।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
125			(vi) एच0पी0ए0 परिवर्धन/ विलोपन	10 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
126	67	आवास बोर्ड	अनापत्ति प्रमाण पत्र/डुप्लीकेट आवटन/पुनः आवटन पत्र जारी करना।	21 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड, हरियाणा
127	68		(i) हस्तांतरण पत्र जारी करना।	15 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड, हरियाणा
128			(ii) साधारण मुख्तारनामा के माध्यम से हस्तांतरण पत्र जारी करना।	45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड, हरियाणा
129	69		बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना।	30 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
130	70		विक्रय के मामले में सम्पत्ति का अंतरण	15 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
131	71		मृत्यु के मामले में सम्पत्ति का अंतरण (अविवादित)	45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
132	72		गिरवी के लिए अनुमति जारी करना	7 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
133	73		किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	7 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
134	74		स्वामित्व का परिवर्तन (मृत्यु मामलों से अन्यथा)	45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
135	75		प्लॉट का सीमांकन	21 दिन	उपमण्डल अभियंता	कार्यकारी अभियंता	मुख्य अभियंता
136	78	कृषि एवं	बीज विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक

		किसान कल्याण विभाग					
137	79		कीटनाशक विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
138	80		पावती रसीद/ उर्वरक विक्रेता का प्राधिकार पत्र	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
139	81		बीज विक्रेता के लाईसेंस का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
140	82		पावती रसीद/ उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
141	83		बीज विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
142	84		कीटनाशक विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
143	85		पावती रसीद/ उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
144	86	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	अनापन्ति प्रमाण पत्र /डुप्लीकेट आंबटन जारी करना।	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
145	87		हस्तांतरण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
146	88		बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
147	89		विक्रय के मामलों में सम्पत्ति का पुनः अंतरण	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
148	90		विक्रय के मामलों में सम्पत्ति का पुनः अंतरण (अविवादित मृत्यु)	60 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
149	91		किसानों को जे0 फार्म जारी करना	1 दिन	मण्डी पर्यवेक्षक या सहायक सचिव	डी0एम0ई0ओ0	डी0एम0ई0ओ0
150	92		कृषि कार्यों के दौरान किसी चोट या मृत्यु के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता (अनुग्रहपूर्वक) प्रदान करना मृत्यु केसों में विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद  चोट के केसों में	30 दिन,  60 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जै0एम0ई0ओ0

151	93	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	गिरवी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जै0एम0ई0ओ0
	94 एवं 95		दिनांक 27.07.2018 को इस क्रमांक की सेवाये समाप्त कर दी गई है।				
152	96	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट,2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन-1 की पावती जारी करना	22 दिन	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
153	97		एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट,2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन-1A की पावती जारी करना	7 दिन	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
154	98		भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण	10 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
155	99		भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण का नवीकरण	20 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
156	100		भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर के परिवर्तन, हेरफेर, मरम्मत के लिए अनुमोदन	20 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
157	101		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनन्तितम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
158	102		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनन्तितम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
159	103		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
160	104		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य

161	105	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के अधीन संसाधन के लिए नवीकरण	03 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
162	106		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण	03 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
163	107		भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म का पंजीकरण	03 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
164	108		भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी में परिवर्तन के लिए अनुमोदन	07 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
165	109		भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	03 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
166	110		हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटियों का पंजीकरण	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
167	111		हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटियों के नाम का अनुमोदन	07 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
168	112		हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीन भासकीय निकाय का अनुमोदन	60 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
169			i) विद्यमान सोसाइटी का पंजीकृत करना	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
170			ii) सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन के अनुमोदन	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
171			iii) फर्म के नाम में परिवर्तन के लिए अनुमोदन	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी

172			iv) फर्म का समापन	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
173			v) हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीनियम 50(1) के अर्न्तगत वार्षिक रिटर्न भरवाना	30 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
174			vi) गर्वनिगं या जनरल बैठक का प्रस्ताव का अनुमोदन	30 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
175			vii) हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीनियम 30(3) के अर्न्तगत चयनित सदस्यों की सूची व उपविधियों की सूचना देना	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
176			viii) हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अर्न्तगत सोसाइटीज के सदस्यों का पंजीकरण	30 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
177			प्रबन्धकीय सहायता का अनुमोदन	30 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
178	112 क	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	मितव्ययक का पंजीकरण	22 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
179	112 ख		राज्य के भीतर बॉयलर का निरीक्षण पुस्तिका के ज्ञापन तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण की अनुमति	10 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
180	112 ग		राज्य से बाहर बॉयलर का निरीक्षण पुस्तिका के ज्ञापन तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण की अनुमति	10 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
181	112 घ		बॉयलर निर्माता इकाई का प्रमाण-पत्र	15 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
182	112 ङ		बॉयलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण-पत्र	15 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
183	112 च		बॉयलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण-पत्र का नवीकरण	07 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग

184	112 छ		बॉयलर वेल्डर प्रमाण-पत्र	10 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
185	112 ज		बॉयलर वेल्डर प्रमाण-पत्र का नवीकरण	10 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
186	112 झ		बॉयलर संचालन इंजीनियर प्रमाण-पत्र	30 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
187	112 ञ		बॉयलर परिचर प्रमाण-पत्र	30 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
188	112 ट		विपणन विकास सहायता		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी		
189	112 ठ		परीक्षण उपकरण सहायता स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी		
190	112 ड	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	क्रेडिट रेटिंग स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी		
191	112 ढ		ऊर्जा लेखापरीक्षा स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी		
192	112 ण		पर्यावरण अनुपालन सहायता		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी		
193	112 त		डिजाइन क्लिनिक स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			

			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
194	112 थ		क्रेडिट लिंकड ब्याज सहायकी स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन			
195	112 द		सुरक्षा लेखापरीक्षा स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन			
196	112 ध		जल लेखापरीक्षा स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन			
197	112 न	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	गुणवत्ता प्रमाणन सहायता स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन			
198	112 प		स्टाम्प-शुल्क वापसी स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन			
199	112 फ		बिजली कर/ओपन एक्सेस शुल्क छूट		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन			
200	112 ब		भाड़ा सहायता अनुदान		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं	प्रधान सचिव, उद्योग तथा

			(i) अनुमोदन पत्र	45 दिन		वाणिज्य	वाणिज्य
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
201	112 भ		शुष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए ब्याज सहायकी		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
202	112 म		रोजगार सृजन सहायकी		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
203	112 य		सहायता प्रौद्योगिकी अधिग्रहण		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
204	112 कक		मुख्य वर्धित कर (वैट) / राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) पर निवेश सहायकी		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
205	112 कख		पेटेंट पंजीकरण स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
206	112 कग		प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			

			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
207	112 कघ		ई-कॉमर्स लिंकेज के लिए उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
208	112 कड		शिल्पकार के लिए ब्याज सहायकी		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
209	113	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लि0	भवन योजना / पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (ओद्योगिक / आवासीय)	15 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार / वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
210	114		भवन योजना / पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (वाणिज्यिक)	30 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार / वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
211	115		भवनो के लिय समापन / अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार / वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
212	116		अनापत्ति प्रमाण पत्र / डुप्लीकेट आबंटन / पुनः आबंटन पत्र जारी करना	20 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
213	117		हस्तांतरण विलेख	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
214	118		बेबाकी प्रमाण पत्र	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
215	119		विक्रय आदि के मामले में प्लॉटो का अंतरण	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
216	120		प्लॉटो का स्थानान्तरण (अनकान्टेसिटेड)	45 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक

217	121		गिरवी जारी करने के लिए अनुमति	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
218	122		किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	3 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
219	123		स्वामित्व परिवर्तन ( मृत्यु मामलों से अन्यथा )	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
220	124		प्लॉटों का सीमांकन	5 दिन	इंचार्ज फील्ड कार्यालय	विभागाध्यक्ष (आई0ए0)	प्रबन्ध निदेशक
221	125		कुरसी सार तक प्रमाण पत्र जारी करना	7 दिन	इंचार्ज फील्ड कार्यालय	विभागाध्यक्ष (आई0ए0)	प्रबन्ध निदेशक
222	126		जल एवं सीवरेज कन्वैशन	15 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
223	127		आई ई/आई डी ए में भूमि/ शेड का आबंटन	60 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	जी एम, हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक
224	128	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग।	(i) डी-1 फार्म प्राप्त होने पर राशन कार्ड जारी करना जैसे कि सभी वर्ग के लिए प्रार्थना फार्म	22 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0पी0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
225			(ii) परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना ।	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0पी0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
226			(iii) दूसरा राशन कार्ड जारी करना	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
227			(iv) परिवार के सदस्य का समावेस/ विलोप	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
228			(v)उसी क्षेत्राधिकार में पता बदलना ।	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
229			(vi)पता बदलने के अंतर्गत एफ0पी0एस0 बदलना (सभी वर्गों के राशन कार्ड )	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
230			(vii) परित्याग प्रमाण पत्र जारी करना/ राशन कार्ड/ सदस्य पलायन/राशन कार्ड स्थानान्तरण/राशन कार्ड	7 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त

			परित्याग प्रार्थना पत्र ।				
231			(viii) राशन कार्ड डाटा सुधार एवं घर के मुख्या संशोधन। पैमाइश के लिए टीम का गठन राजस्व विभाग के सम्बंधित हल्का पटवारी/ कानूनगो तथा नायब तहसीलदार/ तहसीलदार तथा खाद्य तथा पूर्ति विभाग (सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो) हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के दृष्टिगत प्रस्तावित ईन्ट भट्टा स्थल की पैमाइश हेतु संयुक्त टीम गठित करना	7 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
232	128 क		i) दूरियों सम्बन्धी पैरामीटर की	4 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक / निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग ।
233			ii) दूरियों सम्बन्धी पैरामीटर की पैमाइश की रिपोर्ट टीम दूरियों सम्बन्धी पैरामीटर की पैमाइश आवेदक या आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैमाइश करेगी तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	15 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक / निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग ।
234		खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग।	iii) ईन्ट भट्टे के निर्माण की अनुमति हरियाणा प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश 1972 के प्रारूप क के खण्ड 3 क अधीन ईन्ट बट्टे (चिमनी तथा गेड) के निर्माण के लिए स्वीकृति/समशोधन, यदि दूरी पैरामीटर की भांति हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के प्रावधानों के अनुसार पाई जायेगी। आवेदक को सूचित किया जायेगा यदि	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक / निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग ।

			दूरी पैरामीटर नियंत्रण आदेश के अनुसार नहीं पाई जायेगी।				
235			iv) ईंट बनाने व बेचने के लिये ईंट भट्टे का लाईसेंस जारी करना आवेदक/ईन्ट भट्टा स्वामी केवल खान तथा भू-विज्ञान विभाग से परमिट, हरियाणा प्रदुषण बोर्ड से सहमति तथा जिला नगर योजनाकार से नियंत्रित क्षेत्र का लाईसेंस, यदि ईन्ट भट्टा का स्थल नियंत्रित क्षेत्र में आता है, प्राप्त करने के बाद अपना ईन्ट भट्टा संचालित करेगा। अन्यथा जिला नगर योजनाकार/नगर निगम से अनापति प्रमाण पत्र।	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
236	128 ख.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन)	व्यवहारी अनुज्ञप्ति जारी करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
237	128 ग.		व्यवहारी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
238	128 घ.		मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
239	128 ङ.		मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
240	128 च.		विनिर्माता अनुज्ञप्ति जारी करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव

241	128 छ.		विनिर्माता अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
242	129	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	भवन का नक्शा/ भवन के संशोधित नक्शों की स्वीकृति	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
243	130		भवन के लिए सम्पूर्ण अधिपत्य प्रमाण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
244	131		अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (तबादला अनुमति/ दूसरा आबंटन पत्र/ पुनः आबंटन पत्र)	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
245	132		हस्तांतरण विलेख जारी करना	20 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
246	133		बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	10 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
247	134		विक्रय के मामले में सम्पत्ति का अंतरण	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
248	135	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	मृत्यु (अविवादित) के मामले में सम्पत्ति का अंतरण	45 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
249	136		गिरवी के लिए अनुमति जारी करना	7 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
250	137		किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
251	138		स्वामित्व का परिवर्तन (मृत्यु के मामले से अन्यथा)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
252	139		प्लानों का सीमांकन	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
253	140		कुरसी (डी पी सी) प्रमाण पत्र जारी करना	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
254	141		जल आपूर्ति तथा मल जल कनेक्शन	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता / एस डी ई हुडडा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
255	142		जल आपूर्ति तथा मल जल कनेक्शन की स्वीकृति (औद्योगिक)	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता / एस डी ई हुडडा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
256	143		गिरवी प्रथम प्रवाह (औद्योगिक)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय

257	143 क		पानी का कनेक्शन	5 दिन रिहायसी 7 दिन वाणिज्य/ औद्योगिक	1.कनिष्ठ अभियंता, 2. उप मंडल अभियंता और 3. कार्यकारी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	प्रशासक'' ।
258	144		नियंत्रित क्षेत्र तथा समरूप जोन (सरकार की सक्षता के सिवाए) के अंतिम प्रकाशित विकास योजना के भीतर राज्य के विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग अनुज्ञा का परिवर्तन	60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अपर सचिव नगर तथा ग्राम आयोजना	.....
259	145	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	नियंत्रित क्षेत्र से बाहर इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र किन्तु नगरीय क्षेत्र के भीतर	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
260	146		नियंत्रित क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के बाहर पड़ने वाली इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र	10 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
261	147	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	(i) पंजाब अनुसूचित सड़क और अनियमित विकास अधिनियम, 1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत ईट भट्टों, व लकड़ी का कोयला भट्टों, के लिए लाइसेंस	30 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
262			(ii) पंजाब अनुसूचित सड़क के प्रावधानों और अनियमित विकास अधिनियम, 1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत स्टोन केशर, के लिए लाइसेंस	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
263	148		निम्न साइट/प्लॉट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:- 1) लाइसेंस आवासीय प्लॉट कालोनियां 2) औद्योगिक प्लॉट कालोनियां 3) सी एल यू गारंटेड साइट जिनका क्षेत्रफल 2.0 एकड़ (8093.70 वर्ग मी0) तक है	45 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार

264	149		निम्न साइट/प्लॉट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:- 1) लाईसेंस प्राप्त कलोनी में समुदाय साइटें जिनका क्षेत्र 5.0 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। 2) सी एल यू प्राप्त साइटें जिनका क्षेत्रफल 2 एकड़ (8093.70 वर्ग मीटर) से 5.0 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। 3) आवासीय प्लॉटड एवं औद्योगिक प्लॉटड कलोनियों में वाणिज्यिक धटक जिनका क्षेत्रफल 2 एकड़ है। 4) सभी सी एल यू प्राप्त औद्योगिक परियोजनाएं	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
265	150.	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	(क) क्रम संख्या 148 और 149 के इलावा अन्य साइट की योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइट जिनका क्षेत्र 5.00 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर)से अधिक है के निर्माण की स्वीकृति	90 दिन  60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना  अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना
266	151		क्रम संख्या 148 पर वर्णित भवन जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	45 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
267	152		क्रम संख्या 149 पर वर्णित भवनों के लिए प्लॉट क्षेत्र जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
268	153		(क) क्रम संख्या 150 एवं 151 पर वर्णित मामलों को छोड़कर जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना। (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइटें जिनका क्षेत्र 5.00 एकड़	90 दिन  60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना	

			(20234.25 वर्ग मीटर) से अधिक है का कब्जा प्रमाण पत्र।				
269	154		हिन्दु विवाह अधिनियम के अधीन विवाह का पंजीकरण- उपबन्धित 15 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति बाद	3 दिन	तहसीलदार (ग्रामीण क्षेत्र में) सचिव नगर समिति (शहरी क्षेत्र) उप/संयुक्त नगरायुक्त (नगर निगम)	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट उप मण्डल मैजिस्ट्रेट नगरायुक्त	उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त
270	155	गृह विभाग	क) शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण (यदि लाइसेंस समाप्ति की तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया गया है तथा लाइसेंस जारी करने वाला जिला वही जहां सेवा मांगी गई है)	15 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	.- - - -
271		गृह विभाग	ख) शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण छः वर्ष की प्रत्येक साइकिल के बाद प्रस्तुत किया गया हो जहां पुलिस सत्यापन आवश्यक है	22 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	- मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
272	156		हथियार का जमा करना/काटना (यदि अनुज्ञापित जारी करने का जिला वही है जहां सेवाएं मांगी गई हैं)- आवश्यक नोटिस के समाप्त होने के 45 दिन	7 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	- मंडलायुक्त मंडलायुक्त

					पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त मंडलायुक्त
273	157		हथियार खरीदने के समय का विस्तार, (यदि अनुज्ञप्ति जारी करने का जिला वही है जहां सेबाएं मांगी गई है और समय की अनुमति के दौरान)	7 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	— मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
274	158	गृह विभाग	विदेशियों का पंजीकरण (आगमन तथा प्रस्थान)	तत्काल	सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अम्बाला तथा पंचकूला जिले सहायक पुलिस आयुक्त/मुख्यालय गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफ. आर.ओ) उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए	पुलिस आयुक्त, अम्बाला तथा पंचकूला जिले उप पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद पुलिस अधीक्षक	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त आई. जी. रेंज
275	159		विदेशियों के आवासीय प्रमिट का विस्तार	5 दिन	सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय अम्बाला/ शहरी क्षेत्र, पंचकूला/अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र सहायक संयुक्त पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद (मुख्यालय) विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफ.आर. ओ)	पुलिस आयुक्त उप पुलिस आयुक्त	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त

					उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलो के सिवाए	पुलिस अधीक्षक	आई. जी. रेंज
276	160		एफ.आई. आर अथवा डी.डी.आर की प्रति	शीघ्र/ आनलाईन	सम्बन्धित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
277	161		लाउडस्पीकर प्रयोग के लिए अनापति प्रमाण पत्र (अनुमति प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित थाना गृह अधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र अथवा मंडल मैजिस्ट्रेट की दशा में केवल लागू)	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए) उप सहायक पुलिस आयुक्त अम्बाला तथा पंचकूला जिला मुख्यालय सहायक/ पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय/ पुलिस आयुक्त फरीदाबाद तथा गुडगांव विदेशी पंजीकृत अधिकारी (एफ आर ओ)	जिला मैजिस्ट्रेट/ उपायुक्त  पुलिस आयुक्त  पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त  मण्डलायुक्त  मण्डलायुक्त
278	162	गृह विभाग	फेयर/मेला/ प्रदर्शनी/खेल आयोजन इत्यादि के लिए अनापति प्रमाण पत्र	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए) सहायक/उपायुक्त / मुख्यालय/ अम्बाला तथा पंचकूला जिला संयुक्त/ सहायक पुलिस उप आयुक्त फरीदाबाद तथा गुडगांव (मुख्यालय)	उपायुक्त  पुलिस आयुक्त  पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त  मण्डलायुक्त  मण्डलायुक्त
279	163		अपरिचित सत्यापन (अन्य जिले/ राज्य सत्यापन प्राप्त करने के बाद जिसका निवास अपरिचित है)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
280	164		किरायेदार/ नौकर का सत्यापन (यदि आवासीय या स्थानीय क्षेत्र)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
281	165		किरायेदार/ नौकर का सत्यापन (यदि अन्य जिला/राज्य के आवासीय तथा अन्य जिले/	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त

			राज्य से सत्यापन की प्राप्ति के बाद)				
282	166		सेवाओं से सम्बन्धित अन्य सत्यापन	30 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
283	167		सड़क दुर्घटना मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
284	168		चोरी हुए मामलों में वाहनों के मामलों में अनट्रेसड	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
285	169		चोरी के मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति	60 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
286	170		पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
287	171	गृह विभाग	सेवा सत्यापन ( हरियाणा निवासी के मामलों में)	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
288	172		चरित्र सत्यापन	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
289	173		हथियार लाइसेंस के नवीकरण के लिए सत्यापन	22 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) डी.सी.पी. (पंचकुला तथा अम्बाला जिले)  उपमण्डल मैजिस्ट्रेट/ न्यायधीश (फरीदाबाद, पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिलों को छोड़कर)	पुलिस आयुक्त  पुलिस आयुक्त  जिला मैजिस्ट्रेट	मण्डलायुक्त  मण्डलायुक्त  मण्डलायुक्त
290	174		हथियार व्यवहारियों के लाइसेंस को जारी करने/नवीकरण के लिए अनापत्ति	15 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) उप पुलिस उपायुक्त (अम्बाला)	पुलिस आयुक्त  पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त  मण्डलायुक्त

					तथा पंचकुला) जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोड़कर)	मण्डलायुक्त	-----
291	175		पेट्रोल पंप, सिनेमा हाल इत्यादि स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र	15 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोड़कर)	मण्डलायुक्त	-----
					पुलिस आयुक्त (फरीदाबाद, पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिले)	मण्डलायुक्त	-
292	176		पासपोर्ट सत्यापन	21 दिन	संबन्धित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ उप पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
293	177		नये हथियार लाईसेंस के लिए सत्यापन	30 दिन	उपायुक्त (पंचकुला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) उप पुलिस आयुक्त (पंचकुला) उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मण्डलायुक्त  पुलिस आयुक्त  पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त  पुलिस आयुक्त	-  मण्डलायुक्त  मंडलायुक्त मंडलायुक्त  मंडलायुक्त
294	178	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
295	179		बुढ़ापा सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन)	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
296	180		विकलांग पेंशन	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
297	181		हरियाणा विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन)	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
298	182		बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त

299	183		कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
300	184		विकलांग बच्चे जो स्कूल नहीं जाते के लिए वित्तीय सहायता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
301	185		बौना भत्ता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
302	186		हिजडा भत्ता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
303	187	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	एच एस सी एस टी के लिए आवेदन फार्म पी एच डी करने के लिए फेलोशिप फार्म	120 दिन	मुख्य विज्ञानिक इंजीनियर एच एस सी एस टी	सचिव/ई0 सी0 एच एस सी एस टी	अध्यक्ष/ई सी एच एस सी एस टी
304	188		विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवेदन फार्म (POSE) बी. एस.सी और एम.एस.सी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति - समापन के बाद	120 दिन	विज्ञानिक इंजीनियर(ए) एस जी	प्रधान विज्ञानिक(एस जी)	निदेशक
305	189	श्रम विभाग	1)1970 ठेका श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना और लाईसेंस पंजीकरण	26 दिन	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
306			2) कारखाना अधिनियम,1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन	45 दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
307			3) कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखाना लाईसेंस	45 दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
308			(4) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अधीन दुकान का पंजीकरण,— (क) अपने ग्राहक को जानने के लिए अमान्य (के.वाई.सी0)य (ख) अपने ग्राहक को जानने के लिए मान्य (के.वाई.सी0)	1 दिन 15 दिन	संबंधित उप श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार

309			5) टेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 37) अधीन टेकेदारों के लाइसेंस का नवीनीकरण	26 दिन	संबंधित उप श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
310			6) कारखानों अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के प्रावधानों के अधीन लाइसेंस का नवीनीकरण	45 दिन	अपर अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त कारखाना मुख्य निरीक्षक	श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक हरियाणा	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
311			7) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण का नवीनीकरण	1 दिन	श्रम निरीक्षक	सहायक श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त
312	189 क	श्रम विभाग	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अधीन नियोजित प्रतिष्ठान का पंजीकरण	30 दिन	सहायक निदेशक (आई0एस0 एंड एच0)/ सहायक निदेशक आई0एच0/ उपनिदेशक, आई0एच0 एंड संयुक्त निदेशक आई0एस0 एंड एच0	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव।
313	189 ख		अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) के उपबंधों के अधीन मुख्य नियोक्ता से स्थापना का पंजीकरण।	26 दिन	अपर श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम।
314	189 ग		हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड) के लाभार्थी के रूप में निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण/ नवीनीकरण	30 दिन	राज्य के सभी पंजीयक अधिकारी	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य	संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
315	189 घ		हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभ प्रदान करना	90 दिन	सम्बद्ध उप निदेशक	संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	श्रम आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
316	190.	वन विभाग	पेड़ों की कटाई की अनुमति	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक

317	191		पी एल पी ए अथवा वन अथवा वन क्षेत्र से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
318	192.	उद्यान विभाग	हारनेट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप-निदेशक उद्यान (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) उ.नि.उ (एन. एच.एम.)	संयुक्त निदेशक	मिशन निदेशक
319	193		मिट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	16 दिन	उप-निदेशक उद्यान (सूक्ष्म सिंचाई) उ.नि.उ (एम.आई)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
320	194		फूट लाईसेंस- फलदार पौधों की नर्सरी हेतु लाईसेंस जारी करना।	90 दिन	उप-निदेशक उद्यान (प्रोजेक्ट व नर्सरी ) उ.नि.उ (पी.एन. )	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
321	195	उद्यान विभाग	पॉलीनेट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप-निदेशक उद्यान (फल) उ.नि.उ (फ)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
322	196.		सीड लाईसेंस- सब्जी बीज की बिक्री हेतु लाईसेंस जारी करना।	90 दिन	उप-निदेशक उद्यान (सब्जी) उ.नि.उ (स )	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
323	197	मत्स्य विभाग	मत्स्य किसान विकास एजेंसी के अंतर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाएँ:- i) मछली तालाब हेतु भूमि का चुनाव ii) योजना और तलाब का अनुमान iii) ऋण हेतु बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा
324	198		जलमग्न भूमि क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाएँ i)मछली तालाब हेतु भूमि का चुनाव ii) योजना और तलाब का अनुमान iii) ऋण हेतु बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा

			बाद।				
325	199		मत्स्य पालकों को राजकीय मत्स्य बीज फार्मों से मत्स्य बीज सप्लाई की सेवाएँ —मत्स्य बीज संचय करना।	मास फरवरी/मार्च/ जुलाई/अगस्त/ सितम्बर	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकार एजेंसी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा
326	200	खन्न तथा भू-विज्ञान विभाग	पत्थर केशर मालिकों को 'हरियाणा केशर विनियमन तथा नियंत्रण अधिनियम 1991(1992 का 15) के अधीन स्टोन केशर स्वामियों को स्टोन केशर के लिए लाईसेंस	21 दिन	निदेशक, "खन्न तथा भू-विज्ञान	प्रशासकीय सचिव	मुख्य सचिव
327	201		ईंट भट्टा/ ईन्ट स्वामी को ईन्ट निर्माण हेतु मिट्टी की निकासी के लिए परमिट	15 दिन	जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी	राज्य खनन अभियंता	निदेशक, खन्न तथा भू-विज्ञान
328	202	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक)	(क) राज्य राजमार्ग/ एम0ओ0 आर0टी0 एवं एच0 के दिशानिर्देशों के अधीन अनुसूचित सडक से प्रवेश/ निकासी के लिए समाशोधन	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
			(ख) उपयोग का अधिकार के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस/ पाइपलाईन बिछाने की अनुमति	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
			(ग) उपयोग का अधिकार के अन्तर्गत संचार अवसरचना और सहयुक्त स्थापना जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए अनुमति।	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
329	203	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन स्थापना के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
330	204		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव

331	205		जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन चलाने के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
332	206		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
333	207		खतरनाक व अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा से परे संचार) नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
334	208		जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
335	209	मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, चण्डीगढ़	नाम में परिवर्तन	फीस प्राप्ति से 15 दिन	प्रबन्धक, प्रकाशन शाखा, पंचकुला	प्रबन्धक राजकीय पाठ्य पुस्तक प्रैस, पंचकुला	सहायक नियंत्रक, हरियाणा राजकीय प्रैस, सैक्टर-18, चण्डीगढ़।
336	210	कराधान एवं आबकारी विभाग	एल-1: भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए थोक अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
337	211		एल-13: देशी मदिरा के लिए थोक अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
338	212		एल-1बी: अनुमति पत्र (हरियाणा के आसवकों के लिए थोक अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
339	213		एल-1बी-1: अनुमति पत्र (हरियाणा की मधनिर्माणशाला शराब के लिए थोक अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
340	214		एल-1बी-1ए: पीने के लिए तैयार पेय की थोक बिक्री	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
341	215		एल-1बी-1एबी: गैर आसवकों के लिए थोक अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
342	216		एल-10बी: आयातित विदेशी मदिरा की खुदरा अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
343	217		एल-9: खुदरा बिक्री के लिए कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट की	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा

			अनुज्ञप्ति				कराधान विभाग
344	218		एल-12ए: विवाह/समारोह के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
345	219		एल-17: डीलेचर्ड स्पिरिट बिक्री की अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
346	220		एल-11: भारत मे निर्मित विदेशी मदिरा के लिए बोटलिंग अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
347	221		एल-15: मदिरा के लिए बोटलिंग अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
348	222		एस-1: शराब भट्टी के लिए अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
349	223		एल-4/5: रेस्तारा के लिए मधुशाला अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
350	224		एल-12जी: गोल्फ क्लब के लिए मधुशाला अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
351	225		एस-12सी: क्लब के लिए मधुशाला अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
352	226		एस-1बी: शराब के टेस्ट के लिए अनुज्ञप्ति	30 दिन	कलक्टर, आबकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग
353	227		एल-10सी: लघु मधुनिर्माणशाला के लिए अनुज्ञप्ति	30 दिन	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग	
354	228		एल-10ई: शराबखाने के लिए अनुज्ञप्ति	30 दिन	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग	
355	229		डी-2: आसवक अनुज्ञप्ति	30 दिन	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग	

356	230		बी-1: मधनिर्माणशाला अनुज्ञप्ति	30 दिन	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग	
357	231		प्ररूप 24-25: स्वायक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम	30 दिन	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग	
358	232		एल-1एबी1: बीयर/शराब की बिक्री के लिए गैर मधनिर्माता की अनुज्ञप्ति	30 दिन	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग	
359	233		बी0डब्ल्यू0एच0-2: बान्डड भांडागार की अनुज्ञप्ति	30 दिन	आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा	अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग	
360	234	परिवहन	डीलर के माध्यम से नए वाहन का पंजीकरण (गैर-परिवहन)	18 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण का प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
361	235		डीलर के स्थल पर अस्थाई पंजीकरण	2 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण का प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
362	236		लर्निंग अनज्ञप्ति में पता में परिवर्तन	7 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण का पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
363	237		परिचालक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	7 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण का पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
364	238		वाहन का संपरिवर्तन (गैर-परिवहन से परिवहन)	15 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण का पंजीकरण प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

365	239		पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता में परिवर्तन	10 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी	अधिकारी एवं सम्बद्ध पंजीकरण परिवहन	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
366	240		उपयुक्ता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	30 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी	अधिकारी एवं सम्बद्ध पंजीकरण परिवहन	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
367	241		डुप्लीकेट उपयुक्ता प्रमाण पत्र	30 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी	अधिकारी एवं सम्बद्ध पंजीकरण परिवहन	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
368	242		वहन का संपरिवर्तन (परिवहन से गैर-परिवहन)	15 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी	अधिकारी एवं सम्बद्ध पंजीकरण परिवहन	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
369	243		वहन का संपरिवर्तन	30 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी	अधिकारी एवं सम्बद्ध पंजीकरण परिवहन	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
370	244		चलन अनज्ञप्ति में पता में परिवर्तन	10 दिन	उपमण्डल (नागरिक) एवं प्राधिकरण प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी	अधिकारी एवं सम्बद्ध पंजीकरण परिवहन	सम्बद्ध जिले का अपर उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त